एस. जे. वजीफदार, मुख्य न्यायाधीश और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जे *के समक्ष*

लाइफकेयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - प्रतिवादी

2017 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2268

अप्रैल 05, 2017

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - दवाओं की आपूर्ति के लिए पीजीआईएमईआर द्वारा आमंत्रित निविदा से पीड़ित स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन में लगे याचिकाकर्ता — निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस ने फर्मों के पंजीकरण के लिए एक शर्त के रूप में प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार निर्धारित किया - याचिकाकर्ता ने खंड को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट की मांग की — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परमादेश की रिट जारी करने की भी मांग की - सीडब्ल्यूपी खारिज — अभिनिर्धारित - यह पात्रता मानदंड सहित नियमों और शर्तों को निर्धारित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने वाली पार्टी के लिए है — निविदाओं को आमंत्रित करने वाली पार्टी को इसकी आवश्यकताओं को जानने और यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाना चाहिए कि अनुबंध निष्पादित किया गया है।

आगे अभिनिर्धारित किया गया – जब तक कि नियम और शर्तें मनमानी, तर्कहीन या अवैध न हों, तब तक निविदा आमंत्रित करने वाले पक्ष द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों में हस्तक्षेप करना न्यायालय के लिए नहीं है - आगे आयोजित -

टर्नओवर एक बोलीदाता के अनुभव और निविदाओं के संबंध में अनुबंध करने की इसकी क्षमता का एक संकेतक है।

अभिनिर्धारित *किया* गया प्रश्न यह है कि क्या यह शर्त कि निविदाकर्ता का पिछले तीन वर्षों में टर्नओवर 200 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए, वैध है या नहीं।

(*पैरा 8***)**

आगे यह अभिनिर्धारित *किया* गया कि निविदाएं आमंत्रित करने वाली पार्टी पात्रता मानदंड सहित निबंधन और शर्तों को निर्धारित करती है। निविदाएं आमंत्रित करने वाले पक्ष को अपनी आवश्यकताओं को जानने और यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाना चाहिए कि निविदादाता द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा की सामग्री की आपूर्ति करके और अपेक्षित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित किया जाता है। इन अवयवों में से प्रत्येक को सुनिश्चित करने के कई तरीके हो सकते हैं। जब तक नियम और शर्तें मनमानी, तर्कहीन या अवैध न हों, तब तक यह अदालत का काम नहीं है

निविदाएं आमंत्रित करने वाले दल द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों में हस्तक्षेप करना।

(पैरा 9)

आगे यह अभिनिर्धारित *किया* गया है कि बोलीदाता की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्माता या डीलर का कारोबार एक महत्वपूर्ण मानदंड है। यहां तक कि अगर निर्णायक नहीं है, तो यह निश्चित रूप से एक बोलीदाता के अनुभव और निविदाएं आमंत्रित करने के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता का एक संकेतक है। हालांकि, निविदाएं आमंत्रित करने वाली पार्टी को उन शर्तों को निर्दिष्ट करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो इसके अनुसार, एक उपयुक्त ठेकेदार के चयन को सर्वोत्तम संभव तरीके से सुनिश्चित करती हैं।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित *किया* गया , कि एक बार जब कोई पार्टी निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लेती है, तो उसे विशेष परिस्थितियों की अनुपस्थिति में, पात्रता की शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(पैरा 12)

इसके अलावा, यह माना गया कि उत्पाद की गुणवत्ता और आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता का कई तरीकों से परीक्षण किया जा सकता है। निविदा आमंत्रित करने वाले पक्ष को सबसे उपयुक्त मोड का चयन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उत्तरदाताओं ने ऐसा किया है। उत्तरदाताओं ने इस संबंध में एक सूचित निर्णय लिया।

*(***पैरा** *14)*

याचिकाकर्ता के वकील सौरभ गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल क्षेत्रपाल

अमित झांझी, प्रतिवादी नंबर. *2* **के लिए अधिवक्ता**

S.J. **वज़ीफ़दार, मुख्य न्यायाधीश**

(1) याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर. *2*-पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा आमंत्रित निविदा में एक अवधि को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट चाहता है, जिसमें दवाओं की आपूर्ति के लिए फर्मों के पंजीकरण के लिए एक शर्त के रूप में प्रति वर्ष *200* करोड़ रुपये का न्यूनतम टर्नओवर निर्धारित किया गया है।

(2) याचिकाकर्ता निविदा के खंड 2 (ii) और खंड 24 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की एक रिट भी चाहता है, जिसके लिए आवश्यक है कि अनुबंध भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अंत में, याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट चाहता है।

(3) याचिकाकर्ता पात्र नहीं है क्योंकि यह प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और हमने इस मानदंड की वैधता को बरकरार रखा है। इसलिए, हमारे लिए अन्य मुद्दों पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है।

4) याचिका में दिए गए कथन इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, जैव-फार्मास्यूटिकल्स का व्यवसाय करता है और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन में लगा हुआ है। याचिकाकर्ता ने भारतीय दवा उद्योग में लिपोसोम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अग्रणी होने और दवा 'लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी' के व्यावसायीकरण के विकास में योगदान दिया है। यह एक एंटिफंगल दवा है जिसका उपयोग प्रणालीगत फंगल संक्रमण के लिए अंतःशिरा रूप से किया जाता है। यह एक जीवन रक्षक एंटिफंगल दवा है जिसका उपयोग कीमोथेरेपी में कैंसर रोगियों और अस्थि-मज्जा और गुर्दे जैसे अंग-प्रत्यारोपण रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों पर किया जाता है। याचिकाकर्ता इस दवा को 'फंगिसोम' के व्यापार नाम से विपणन करता है।

5) यह दवा भारत में अत्यधिक कीमत पर आयात की जा रही थी। आत्मनिर्भरता लाने और सस्ती कीमत पर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, 'तकनीकी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कार्यक्रम' के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुदान द्वारा समर्थित किया गया था। दवा को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के समर्थन से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। याचिकाकर्ता भारत की एकमात्र कंपनी है जिसने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके दवा का निर्माण किया है। याचिकाकर्ता के उत्पाद कीमती विदेशी मुद्रा बचाते हैं और वास्तव में, विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं से बेहतर हैं। 2004 के बाद से, दूसरे प्रतिवादी के साथ काम करने वाले डॉक्टरों द्वारा दवा को नियमित रूप से निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2014 में, उत्तरदाताओं ने दवा की कुछ मात्रा की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए। याचिका में उन विभिन्न चरणों और चरणों को निर्धारित किया गया है, जिनके कारण याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित दवा की स्वीकृति और चिकित्सकीय और व्यावसायिक रूप से इसकी सफलता हुई है। 6)याचिकाकर्ता की चुनौती दूसरे प्रतिवादी के निविदा नोटिस दिनांक 14.05.2015 को पांच कंपनियों से दवाओं की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए है जिसमें याचिकाकर्ता शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस आशय पर आपत्ति जताई कि आमंत्रित की गई पांच कंपनियों द्वारा निर्मित दवा का परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की आगे की शिकायत यह है कि 30.05.2015 को एक अन्य कंपनी मेसर्स सिप्ला लिमिटेड को एक शुद्धिपत्र के माध्यम से फर्मों की सूची में जोड़ा गया था और निविदा उसके पक्ष में दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 11.08.2015 के पत्र द्वारा इसके बहिष्करण के कारणों के बारे में पूछताछ की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादियों के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि यह पंजीकृत नहीं था क्योंकि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में इसका वार्षिक टर्नओवर Rs.20 करोड़ नहीं था। इस निविदा की अवधि समाप्त होने के बाद, यह चुनौती टिक नहीं पाती है।

7)प्रतिवादी नंबर 2 ने 04.01.2017 को दो साल की अवधि में उक्त दवा की खरीद के लिए एक निविदा नोटिस जारी किया। निविदा सूचना के अनुलग्नक-1 में तकनीकी विनिर्देश/विवरण और भंडार की मात्रा निर्धारित की गई है, जिसमें इस याचिका में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं: -

> "2. निविदाकर्ता को इस समर्थन में दस्तावेज संलग्न करने चाहिए कि फर्म का न्यूनतम कारोबार लगातार तीन वर्षों के लिए 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, जो अनुमोदित सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

(8) खंड 24 की चुनौती पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास, किसी भी स्थिति में, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए Rs.200 करोड़ का अपेक्षित टर्नओवर नहीं था। सवाल यह है कि क्या यह शर्त वैध है कि पिछले लगातार तीन वर्षों में निविदाकर्ता का टर्नओवर 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

(9) यह निविदा आमंत्रित करने वाली पार्टी के लिए पात्रता मानदंड सहित नियम और शर्तों को निर्धारित करने के लिए है। निविदा आमंत्रित करने वाले पक्ष को इसकी आवश्यकताओं को जानने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश माना जाना चाहिए कि बोलीदाता द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा की सामग्री की आपूर्ति करके और अपेक्षित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध का निष्पादन किया जाता है। इनमें से प्रत्येक सामग्री को सुनिश्चित करने के कई तरीके हो सकते हैं। जब तक नियम और शर्तें मनमाने, तर्कहीन या अवैध नहीं हैं, तब तक निविदा आमंत्रित करने वाले पक्ष द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों में हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं है।

(10) बोलीदाताओं की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक निर्माता या डीलर का टर्न ओवर एक महत्वपूर्ण मानदंड है। भले ही निर्णायक न हो, यह निश्चित रूप से एक बोलीदाता के अनुभव और अनुबंध करने की उसकी क्षमता का एक संकेतक है, जिसके संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। एक बड़ा टर्नओवर व्यवसाय की एक बड़ी मात्रा का संकेत देगा। व्यवसाय की एक बड़ी मात्रा बोलीदाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की बाजार स्वीकार्यता का संकेत देगी। बाजार की स्वीकृति बोलीदाता की अनुबंध करने की क्षमता का एक संकेतक है। कुछ मामलों में, ये संकेतक स्वयं अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। ऐसे असंख्य मामले हैं जहाँ ठेकेदार द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद अनुबंध का विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया है। हालांकि, निविदा आमंत्रित करने वाले पक्ष को उन शर्तों को निर्दिष्ट करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो इसके अनुसार, एक उपयुक्त ठेकेदार का चयन सर्वोत्तम संभव तरीके से सुनिश्चित करती हैं।

(11) हम यह मान लेंगे कि इसकी उत्कृष्टता के बारे में याचिकाकर्ता के दावे अच्छी तरह से आधारित हैं। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने बोलीदाता के टर्न ओवर की मात्रा निर्धारित करने का फैसला किया। उन्होंने 200 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि यह दुर्भावना से किया गया था। शर्त को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास दवा उद्योग में आवश्यक टर्नओवर नहीं है। टर्न ओवर की मात्रा का अपना महत्व है। यह याचिकाकर्ता की विशेषज्ञता और बाजार में अनुभव और चिकित्सा क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण होने का संकेत देता है। निविदा के नियमों और शर्तों की वैधता का आकलन करते समय, किसी विशेष निविदाकार की विशेषज्ञता और उत्कृष्टता अप्रासंगिक है। यह संभव है कि एक निविदाकर्ता, जिसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है और इसलिए, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य है, वास्तव में काम को निष्पादित करने में सक्षम है या पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पक्ष से भी बेहतर है। फिर भी वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि यह निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में निर्धारित पूर्व-योग्यता मानदंडों की वैधता निर्धारित नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट कारण है कि एक बार कार्यकाल में ढील दिए जाने के बाद, न केवल ऐसा निविदाकर्ता बल्कि अन्य सभी पक्ष जो परिवर्तित शर्तों को पूरा करते हैं, वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार होंगे। हो सकता है कि वे निविदा आमंत्रित करने वाली पार्टी द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन के स्तर को पूरा न करें। फिर भी उन पर विचार किया जाना चाहिए।

12) अपवाद नियम नहीं बनाता है। एक बार जब कोई पक्ष निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लेता है, तो विशेष परिस्थितियों के अभाव में, पात्रता की शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(13) याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री क्षेत्रपाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दिनांक 17.12.2002 को जारी एक

कार्यालय ज्ञापन में निहित दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5 (बी) पर भरोसा किया, जो निम्नानुसार हैः-

"5. पात्रता मानदंड निर्धारित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिएः - ....

B) स्टोर/खरीद अनुबंधों के लिए

पूर्व योग्यता/पद योग्यता पूरी तरह से संभावित बोलीदाताओं की क्षमता और संसाधनों पर आधारित होगी ताकि वे विशेष अनुबंध को संतोषजनक ढंग से निष्पादित कर सकें, उनके (i) पिछले 2 वर्षों के लिए समान अनुबंधों पर उनके अनुभव और पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए (ii) कर्मियों, उपकरणों और विनिर्माण सुविधाओं के संबंध में क्षमताओं

(iii) पिछले 3 वर्षों की नवीनतम आईटीसीसी, वार्षिक रिपोर्ट (बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता) के माध्यम से वित्तीय स्थिति। पीक्यू मानदंड निर्धारित करते समय मात्रा, वितरण और मूल्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी बोलीदाता को अनुबंध को सफलतापूर्वक पूरा करने की उसकी क्षमता और संसाधनों से असंबंधित कारणों के लिए पूर्व-अर्हता/पद योग्यता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

14) उत्पाद की गुणवत्ता और आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता का परीक्षण कई तरीकों से किया जा सकता है। निविदाएं आमंत्रित करने वाली पार्टी को सबसे उपयुक्त मोड का चयन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उत्तरदाताओं ने ऐसा किया है। उत्तरदाताओं ने इस संबंध में एक सूचित निर्णय लिया। उत्तर में शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयों की खरीद के उद्देश्य से, दूसरे प्रतिवादी की औषध समिति ने दिनांक 06-05-2009 को हुई बैठक में सिफारिश की थी कि कतिपय मदों को छोड़कर न्यूनतम

वाषक कारोबार 20 करोड़ रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए। 26.11.2010 को औषध समिति के अध्यक्ष ने फाइल पर निम्नानुसार नोट किया:-

उन्होंने कहा, 'यह उन विनिर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा सीमित करने पर चर्चा के आधार पर लिया गया फैसला है जिनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है। दवाएं, कई बार, छोटे उत्पादकों द्वारा भी निर्मित होती हैं, पूरे गुणवत्ता नियंत्रण संदिग्ध हो सकते हैं। यदि कोई प्रतिस्पर्धा उपलब्ध नहीं है तो हम किसी दी गई दवा के लिए स्थिति का आकलन कर सकते हैं "(अनुबंध R-2/10)"

15) दिनांक 30.01.2012 को आयोजित बैठक में औषध समिति ने उन नई फर्मों, जिनसे औषधियां खरीदी जाएंगी, के संबंध में निबंधन एवं शर्तें तैयार की और इसलिए औषधियों को श्रेणी क और श्रेणी ख में विभाजित किया है। 20 करोड़ रुपये का न्यूनतम टर्नओवर केवल श्रेणी 'ए' के संबंध में था जिसमें उक्त दवा शामिल थी। आक्षेपित खंड लगभग चार वर्षों से अस्तित्व में है। इसके बाद 26.08.2016 को दवाओं को तीन श्रेणियों 'ए', 'बी' और 'बी' में विभाजित किया गया था। 'सी'। उक्त दवा श्रेणी ए में बनी हुई है, जिसके लिए न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की आवश्यकता होती है।

16) सीवीसी दिशानिर्देशों को आँख बंद करके लागू नहीं किया जाना चाहिए। पात्रता मानदंड तय करते समय पैराग्राफ 5 (बी) में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, जहां तक संभव और समीचीन है, दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, वे कठोर नहीं हैं। लचीलेपन की न केवल अनुमति है बल्कि आवश्यक है। पीक्यू मानदंड निर्धारित करते समय मात्रा, सुपुर्दगी और मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह भी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। इंडेंट के आदेश की तुलना में टर्न ओवर का उच्च मूल्य निर्धारित करना जिसके लिए निविदा जारी की जाती है, अनुचित नहीं है। यह हर मामले में नहीं है कि अपेक्षाकृत कम मात्रा में खरीदे जाने के लिए एक उच्च टर्न

ओवर की आवश्यकता अनुचित या तर्कहीन है। एक संस्थान को एक बहुत ही संवेदनशील दवा की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता हो सकती है। टर्न ओवर से संबंधित योग्यता संभवतः मात्रा से कोई सह-संबंध नहीं रख सकती है। गुणवत्ता की आवश्यकता एक छोटे आदेश के लिए उतनी ही अधिक है जितनी कि बड़े आदेश के लिए। उदाहरण के लिए, एक जीवन रक्षक दवा लें। निविदाएं आमंत्रित करने वाले दल को आवश्यक रूप से उसी गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए, चाहे खरीदी जाने वाली मात्रा कितनी भी हो। वास्तव में, इसके विपरीत एक दृष्टिकोण पूरी तरह से अतार्किक होगा।

17) याचिकाकर्ता हमेशा उत्तरदाताओं को निविदाकर्ताओं की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अन्य मानदंडों को अपनाने के लिए मनाने के लिए स्वतंत्र है। यह उत्तरदाताओं के लिए सुझाव पर विचार करने के लिए होगा।

18) इन परिस्थितियों में याचिका खारिज की जाती है।

J.S. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा